न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

राजस्व रेफरेन्स प्रकरण संख्या 32/2011 पुनः दर्ज 107/2021

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(प्रार्थी)

बनाम

गोपाल पुत्र श्रीलाल, कौम जाट, नि0 मैंदवास, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

(अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्व भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा'82 व 83 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक :– 29.12.2025

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के तथ्य निम्नानुसार है :–

आराजी खसरा नम्बर 1548/3245 रकबा 12 बिघा 17 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी, वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011–30 में राजकीय भूमि में अंकित है। वर्तमान में उक्त भूमि गोपाल पुत्र श्रीलाल, कौम जाट, निवासी मैंदवास, खसरा नम्बर 1548/3245 रकबा 0–01 बिस्वा, गै.मु. चाह की गैर खातेदारी अंकित है। उक्त आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 1606 दिनांक 28.02.2002 के द्वारा ख.नं. 1548/3245 रकबा 0–01 गै.मु. चाह की गोपाल पुत्र श्रीलाल, कौम जाट, निवासी मैंदवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी किस्म होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हस्तान्तरित/खातेदारी नहीं हो सकती है। अतः धारा–82 के तहत रेफरेन्स भिजवा कर खातेदारी निरस्त फरमाने हेतु निवेदन सेवामें पेश है।

उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर–द्वितीय, जयपुर ने निर्णय दिनांक 19.03.2012 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.11.11 को प्रेषित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) ग्राम निमेडा के क्रम संख्या 223 के कॉलम संख्या 5 में सिवाय चक बिला लगानी ख.नं. 1548/3245 रकबा 12 बिघा 17 बिस्वा गै.मु. नदी दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 1606 ग्राम निमेडा में अंकित अनुसार ए0सी0एम0 फागी प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ए0सी0एम0 फागी के आदेश दिनांक 59–63 दिनांक 9.1.2002 की पालना में गोपाल पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

(1)

श्रीलाल कौम जाट सा0 मैंदवास के नाम आदेश दिनांक 28.02.2002 से गैर–खातेदारी दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम निमेडा सम्वत् 2063–66 के अनुसार खसरा नम्बर 1548/3246 रकबा 1 बिस्वा गोपाल पुत्र श्रीलाल कौम जाट सा0 मैंदवास के नाम दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के अनुसरण में राजकीय भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख की स्थिति के मद्देनजर प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

श्रीमान् निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/रेफ/एलआर/2012/8542/जयपुर दिनांक 21.08.2018 निर्णय दिनांक 05.03.2018 की प्रति प्रेषित कर हस्तगत रेफरेन्स अपूर्ण होने से वापिस लौटाया जाकर निर्देशित किया गया कि उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, सम्पूर्ण दस्तावेजों व साक्ष्य के साथ, नए सिरे से, इस निर्णय से तीन माह की अवधि में पुनः रेफरेन्स कार्यवाही अभिशंषित करावें।

न्यायालय के पत्रांक आर.ए/18/2429 दिनांक 25.10.2018 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 05.03.2018 मय उक्त पत्र की फोटोप्रति भिजवाई जाकर तहसीलदार फागी को निर्णयानुसार समस्त दस्तावेजात के साथ पुनः रेफरेन्स इस न्यायालय में प्रस्तुत हेतु लिखा गया।

प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलक्टर–द्वितीय, जयपुर से नवीन क्षेत्राधिकार निर्धारित होने के कारण इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को उपस्थित होने के लिए पाबंद किये जाने के बावजूद अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। पर्याप्त अवसर उपस्थित होने हेतु दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर के पत्रांक एलआर/2018/7241 दिनांक 13.11.2018 द्वारा अवगत करवाया कि मुताबिक जॉच रिपोर्ट के अनुसार गोपाल पुत्र श्रीलाल को नामा.सं. 1606 दिनांक 28.12.2002 से ख.नं. 1548/3245 मिन् रकबा 12–12 बीघा गै.मु. नदी से ही ख.नं. 1548/3245 रकबा 0–01 बीघा नियमन हुआ था। नवीन जमाबन्दी में मिन् नम्बर होने से गोपाल पुत्र श्रीलाल को ख.नं. 1548/3246 नवीन बट्टा नम्बर दिया गया है, क्योंकि पूर्व ना.सं. 1237 से इसी नम्बर में से लक्ष्मणसिंह, रघुवीर सिंह, महावीर सिंह व विशाल सिंह पिता बुद्धसिंह को गैर खातेदारी प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उनके मूल ख.नं. 1548/3245 नवीन ख.नं. दिया जा चुका था। अतः पूर्व में प्रेषित राजस्व रेफरेनस ना.सं. 1606 दिनांक 28.12.2002 के द्वारा सरकार बनाम गोपाल भेजा गया था जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड यथा नकल जमाबन्दी, सेटलमेन्ट खतौनी, नामा.सं. 1606 व 1237 की फोटोप्रति संलग्न है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत नवीन रेफरेन्स के तथ्य निम्नानुसार है :–

आराजी खसरा नम्बर 1548/3245 रकबा 12–17 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011–30 में सिवायचक बिला लगानी राजकीय भूमि में अंकित है। वर्तमान में उक्त भूमि गोपाल पुत्र श्रीलाल कौम जाट सा0 मैंदवास गैर खातेदार ख.नं. 1548/3246 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0 चाह दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 751 में है। उक्त आराजीयात नामा0 सं. 1606 दिनांक 28.12.2002 के द्वारा गोपाल पुत्र श्रीलाल कौम जाट निवासी मैन्दवास ख.नं. 1548/3245 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.मु. चाह के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि किस्म गै.मु. नदी होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

के आदेश अनुसार हस्तान्तरित/खातेदारी नहीं हो सकती है। अतः धारा 82 के तहत रेफरेन्स भिजवाकर खातेदारी/गैर खातेदारी निरस्त फरमाने हेतु निवेदन सेवामें पेश है।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। संबंधित कानून की स्थिति देखी जाकर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया। प्रस्तुत रेफरेन्स मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 की अनुपालना में किया। मा. उच्च न्यायालय ने जल भराव क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप एवं उपयोग में लाने हेतु निर्णय के बिन्दू संख्या 15(1) में 15 अगस्त 1947 को जो भूमियां नदी, नाले, उप नदी, झील एवं जलाशय इत्यादि के रूप में दर्शायी गयी है, उनको सरकारी भूमि घोषित किए जाने एवं 15–8–1947 के पश्चात् उक्त भूमियों के संबंध में किए गए संपरिवर्तनों को अवैध (नियम विरूद्ध) घोषित किया जावें, बाबत् निर्देश दिए हैं एवं संबंधित अधिनियम एवं नियमों में भी इसी अनुरूप संशोधन किया जावे, के निर्देश भी है।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया गया। तहसीलदार फागी द्वारा दिनांक 13.11.2018 को प्रेषित नवीन रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 1548/3245 रकबा 12–17 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर की सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011–30 में सिवायचक बिला लगानी राजकीय भूमि में अंकित है। वर्तमान में उक्त भूमि गोपाल पुत्र श्रीलाल कौम जाट सा0 मैंदवास गैर खातेदार ख.नं. 1548/3246 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0 चाह दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2071–74 के खाता सं0 751 में है। उक्त आराजीयात नामा0 सं. 1606 दिनांक 28.12.2002 के द्वारा गोपाल पुत्र श्रीलाल कौम जाट निवासी मैन्दवास ख.नं. 1548/3245 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.मु. चाह के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 के अनुसरण में विवादित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख की स्थिति के मद्देनजर प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के योग्य होने के कारण प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू